उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0—353/2018

श्रीमती सोना देवी वगै0............................वादीगण।

बनाम्

अर्जुन पांडेय वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

30.04.2026 प्रतिवादी की पैरवी है। वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय आवेदन दिया गया है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी की ओर से दिनांक 30.04.2026 को समय आवेदन दिया गया है जिसमें तबीयत खराब होने की बात का जिक्र किया गया है परन्तु कोई चिकित्सा का प्रमाण दाखिल नहीं किया गया है अतः वादी के आवेदन को बिना खर्च के खारिज किया जाता है। विदित होता है कि दिनांक 16.02. 2026 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू वादी को अंतिम अवसर दिया गया है। किन्तु वादी द्वारा आजतक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई उचित कदम उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2018 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत और उचित कदम नहीं उठाने हेतू वाद को खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)